महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

सं0 2342/स्पे0कम्पो0/26-3-86-11(36)/81,

प्रेषक,

ओ0पी0शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

श्री एस0आर0लाखा,
अपर निदेशक,
हरिजन एवं समाज कल्याण, उ0प्र0
महानगर, लखनऊ ।

हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ/दिनांक 11 जुलाई, 1986

(स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक)

विषय:- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक लघु सिंचाई योजना के स्थान पर व्यक्तिगत लघु सिंचाई योजनाओं की कार्यान्वयन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु सीमान्त कृषकों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में सामूहिक लघु सिंचाई योजना का कार्यान्वयन छठी पंचवर्षीय योजना काल से किया जा रहा है । उक्त योजना के मूल्यांकन कराये जाने के पश्चात इस योजना में कतिपय कमियाँ पाई गई । अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त सामूहिक लघु सिंचाई योजना के स्थान पर इस शासनादेश के साथ संलग्नक-1 में दी गई लघु सिंचाई योजना कार्यान्वित की जाये ।

2- उपरोक्त नई लघु सिंचाई योजना इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से लागू होगी और इस तिथि के पश्चात पूर्व में संचालित सामूहिक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा बल्कि ऐसी सामूहिक लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य अधूरे रह गये हो उन्हें ही पूरा किया जायेगा ।

3- उपरोक्त सिंचाई योजना के वर्तमान वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन हेतु इस शासनादेश के संलग्नक-2 में दिये गये विवरण के अनुसार रू0 2,21,15,00/- (दो करोड इक्कीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि प्रदेश के विभिन्न जनपदों को आवंटित की जाती है । उपरोक्त धनराशि शासनादेश संख्या 1774/स्पे0कम्पो0/26-3-86-11(25)/85 दिनांक 2 मई, 1986 द्वारा स्वीकृत आठ करोड रूपये की धनराशि में से आवंटित की जाती है । इस धनराशि को अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण) द्वारा अपने अपने जनपदीय कोषागार से आहरित करके

पी0एल0ए0 में रखी जायेगी और उतनी ही धनराशि पी0एल0ए0 से आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तत्काल आवश्यकता हो । स्वीकृति धनराशि किसी भी दशा में अन्य प्रयोजनों पर व्यय नहीं की जायेगी ।

भवदीय,
ह0/-
ओ0पी0शर्मा
विशेष सचिव ।

पृ0सं0/2342(1)/26-3-86 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0 ।
3- निदेशक,हरिजन एवं समाज कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ ।
4- प्रबंध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, महानगर,लखनऊ ।
5- समस्त अपर जिला विकास अधिकारी(ह0क0) उ0प्र0 ।
6- समस्त उप/सहायक निदेशक,हरिजन एवं समाज कल्याण,उ0प्र0 ।
7- समस्त कोषाधिकारी,उ0प्र0।
8- महालेखाकार,लेखा थ्रम/आडिट प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद ।
9- वित्त (इ-1)(2) अनुभाग ।
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सूचना निदेशक,उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
ह0/-
ओ0पी0शर्मा
विशेष सचिव।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाने वाली नई लघु सिंचाई योजना ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त कृषकों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में वर्ष 1981-82 से सामूहिक लघु सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है वर्ष 1985 तक इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि [illegible] दर पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में योजना में नई कमियाँ परिलक्षित हुई है, जैसे प्रसारित रूप रेखा के आधार पर वास्तविक [illegible] नहीं बनाई गई और जो परियोजना बनाई गई उनमें से अनेकों उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नहीं थी, योजनान्तर्गत बनाये गये सिंचाई कूपों में [illegible] पानी नहीं था, स्थापित सिंचाई श्रोतों में से अनेकों श्रोतों का निर्माण कार्य अधूरा रहने अथवा परिचालन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनका उपयोग नहीं हो पाया । योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधिक कार्यकर्ताओं में तकनीकी सामन्जस्य का कोई भी [illegible] नहीं था जिससे सिंचाई योजनाओं के निर्माण व रखरखाव में कठिनाई होती है, सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित एजेन्सियों ने आवंटित कार्य को अपनी प्राथमिकता नहीं दी जिसके फलस्वरूप अनेक सिंचाई परियोजनायें [illegible] से अधूरी पड़ी है । संस्थापित सिंचाई श्रोतों के परिचालन घण्टों का [illegible] एवं आय-व्यय की लेखा रखना इस योजना की प्रमुख बाधा रही है ।

2- अतः सिंचाई योजनाओं को प्रभावशाली बनाने के लिए विचारोपरान्त नई सिंचाई योजना निम्न प्रकार क्रियान्वयन हेतु बनाई जाती है:-

__नई सिंचाई योजना__- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों के बाहुल्य क्षेत्र में लघु सिंचाई विभाग की मात्राकृत धनराशि से व हरिजन समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्पे०कम्पो० प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से अनुसूचित जाति के कृषकों के खेतों में निःशुल्क बोरिंग इस प्रकार कराई जायेगी कि हर बोरिंग से करीब 5 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कराई जा सके और इस प्रकार के प्रत्येक दो अथवा तीन बोरिंग पर अनुसूचितजाति के कृषक खेत में बोरिंग के पास पड़ोस के खेतों में सिंचाई करने के लिए किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० की स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत डीजल पम्पसेट उपलब्ध करा दिया जायेगा जिस पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण दिया जायेगा और शेष धनराशि व्यवसायिक बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी । डीजल पम्प से बोरिंग के कमाण्ड एरिया में कृषकों के खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

. खेतों का चयन जिनमें निःशुल्क बोरिंग की जायेगी-

निःशुल्क बोरिंग लघु सिंचाई विभाग व हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग दोनों द्वारा की जायेगी इसलिये यह अति आवश्यक है कि खेतों के चयन के लिए समन्वय हो ताकि दोनों विभागों द्वारा कराई गई बोरिंग से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और किसी कमाण्ड क्षेत्र में दोनों विभाग बोरिंग न करा दें । इसके लिए ब्लाक स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जिसके सदस्य निम्न प्रकार होंगे:-

(अ)	परगनाधिकारी	अध्यक्ष
(ब)	अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	सदस्य सचिव
(स)	सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई)	सदस्य
(द)	बी०डी०ओ०	सदस्य
(य)	हरिजन [illegible] निगम का सहायक/अवर अभियन्ता	सदस्य

किन-किन क्षेत्रों में बोरिंग कराई जाय इसके चयन हेतु समिति निम्न बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेगी.-

(1) बोरिंग अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में की जायेगी ।

(2) जिला में लघु सिंचाई विभाग व हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए अलग अलग खेत नामित कर दिये जायेंगे ताकि बोरिंग से अधिकतम सिंचाई उपलब्ध हो सके और एक दूसरे की कमाण्ड एरिया का अतिक्रमण न हो ।

(3) जिन स्थानों पर स्पे0कम्पो0 प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि क्रय करके उपलब्ध कराई जाय और यदि वह क्षेत्र असिंचित हो तो उस भूमि पर प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग कराई जाये ।

(4) सामान्य: 3 बोरिंग के बीच में एक पम्पसेट के लिए वित्तीय सहायता दिलाई जाय । यदि गाँव में एक ही बोरिंग हो तो गाँव के अनुसूचित जाति के कृषकों को भी पम्पसेट के लिए वित्तीय सहायता दिलाई जा सकती है ।

अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) का यह विशेष रूप से दायित्व होगा कि वह लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय से बोरिंग करने के स्थान व पम्पसेट दिलाने के लिये लाभार्थियों का चयन व उनकी बैंक से ऋण की धनराशि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा देय अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध करायें और प्रगति की रिपोर्ट हर माह जिलाधिकारी व प्रबंध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम /अपर निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण को आठ तारीख तक भेजें । प्रबंध निदेशक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम /अपर निदेशक समय-समय पर उपरोक्त योजना की हर जिले की प्रगति की मानीटरिंग करेंगे और शासन को प्रगति रिपोर्ट हर माह 12 तारीख तक भेजेंगे ।

पुरानी सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करना व उनका रखरखाव ।

पूर्व में संचालित सामूहिक लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो योजनायें प्रारम्भ की जा चुकी है लेकिन अभी अपूर्ण है उनको पूर्ण करने की कार्यवाही अभी जारी रहेगा और प्रयत्न यह किया जायेगा कि अक्टूबर, 1986 के अन्त तक यह सभी योजनायें पूर्ण कर ली जायें ।

जो योजना 1981-82 से अब तक चलाई गई है उन सबके लिए पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कर दिया जाये। पम्पसेट जिन-जिन जिले में उपलब्ध है उनकी इन्वेन्ट्री पूर्ण करा दी जाये और उनका रखरखाव सुचारू रूप से कराया जाता रहे ताकि बनी हुई सिंचाई योजनाओं से अनुसूचित जाति के कृषकों को अतिरिक्त सिंचाई का लाभ भविष्य में भी सुचारू रूप से उपलब्ध होता रहे । इसके लिये अपर जिला विकास अधिकारी (ह0क0) पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे । और इसका अनुश्रवण प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम/अपर निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण करेंगे । और इन आदेशों की पूर्ति की रिपोर्ट 15-11-86 तक शासन को उपलब्ध करायेंगे । प्रबंध निदेशक वित्त एवं विकास निगम/अपर निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण सिंचाई की हर हर जिले के लिये इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि योजना से शासन को हानि न हो बल्कि आपरेटर का पारिश्रमिक व पम्पसेट के रखरखाव इत्यादि के भुगतान के बाद कुछ थोड़ी धनराशि बची रहे । इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के अन्तर्गत आय-व्यय का लेखा जोखा सिंचित भूमि एवं सिंचाई के घंटे आदि की सूचना भी प्रबंध निदेशक शासन को हर फसल के बाद भेजेंगे ।